प्रथम सूचना रिपोर्ट
(दण्ड प्रकिया सहिंता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. (जिला) ..**चौकी, भ्र.नि.ब्यूरो, सवाई माधोपुर**....(थाना) ...**प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि. ब्यूरो, जयपुर।**
(प्र.सू.रि.स.) .....330/2023..... (दिनांक) .....28/11/2023.....
2 ।(अधिनियम) 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) (धाराए)120 बी भा.द.सं.
।। (अधिनियम)..... (धाराए) .....
।।। (अधिनियम) ..... (धाराए) .....
।अ (अन्य अधिनियम एवं धाराए) .....
3. (क) (दिन).....मंगलवार.... (दिनांक से).....18.07.2023.....(दिनांक तक).....
(ख) (पहर) .....(बजे से)..... (बजे तक) .....
(ग) (थाने पर प्राप्त सूचना).....(दिनांक) .....(समय) .....
(रोजनामचा संदर्भ) .....(प्रविष्टि सं.) 542 (समय) 5.55 P.M.
4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) (लिखित/मौखिक).....**लिखित रिपोर्ट** .....
5. घटना का ब्योरा (थाने से दिशा व दूरी).....**बजानिव दिशा उत्तर, दूरी करीब 65 कि.मी....**
(ख) (पता)..... **पुलिस थाना, लालसोट, जिला दौसा** .....
(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तब उस) .....
(थाने का नाम) .....**(जिला)** .....
6. (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाला)
(क) (नाम) ..... श्री धर्मेन्द्र सिंह .....
(ख) (पिता/पति का नाम)..... श्री कल्याणमल मीना,.....
(ग) (जन्म तिथि/वर्ष).....**34 वर्ष**.....(घ) (राष्ट्रीयता).....**भारतीय**.....
(ड.) (पासपोर्ट सं.) .....
(जारी करने की तिथि) .....(जारी करने का स्थान) .....
(च) (व्यवसाय) .....
(छ) (पता).. बिहारीपुरा, तहसील लालसोट, जिला दोसा।
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूर्ण विवरण)
(यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)
1. विजय लाल मीणा पुत्र रामेश्वर प्रसाद, जाति मीणा, निवासी झिलमीली, पोस्ट बनियाना, पुलिस थाना लवाण, तहसील व जिला दौसा तत्कालीन हैड कानि. नम्बर 26 पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा हाल हैड कानि. चौकी लांका मोड, थाना सिकन्दरा, जिला दौसा।
2. हरिसिंह पुत्र सियाराम, निवासी गांव भोजपुरा, पोस्ट कैलाई, पुलिस थाना सिकन्दरा, तहसील सिकराय, जिला दौसा, तत्कालीन हैड कानि. नम्बर 124 पुलिस थाना लालसोट, जिला दौसा, हाल हैड कानि. पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा

8. (शिकायत/इत्तला देने वाले द्वारा, सूचना देने में देरी का कारण) .....
9. (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें
मांगी गई रिश्वती राशि 8,000/–रुपये।
10. चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य
11. (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) (यदि कोई हो तो)
12. (प्र.सू.रि. की विषय वस्तु) (यदि आवश्यक हो तो अलग से पृष्ठ नत्थी करें)

दिनांक 18.07.2023 को परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री कल्याणमल मीना, जाति मीना उम्र 34 वर्ष निवासी बिहारीपुरा, तहसील लालसोट, जिला दोसा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय पुलिस थाना लालसोट, जिला दोसा में दर्ज प्रकरण संख्या 330/2023 की स्वंय प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को इस आशय की पेश की कि सेवामें, श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सवाई माधोपुर विषय–रंगे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे जमीनी विवाद को लेकर मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ छोटूलाल पुत्र नानग राम के द्वारा पुलिस थाना लालसोट में मुकदमा नम्बर 330/23 दर्ज करवाया था, जिसमें हमारे खिलाफ 143,447,504,506 आईपीसी का आरोप अंकित है, उक्त मुकदमें में विजयलाल हैड कानि. के द्वारा जांच की जा रही है। विजय लाल हैड कानि व हरिसिंह हैड कानि. उक्त मुकदमें मे मेरे से मेरे परिवार के सदस्यों के नाम

हटाने व गिरफ्तार नही करने की एवज में 15,000/– हजार रूपये की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारीयों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा इनसे कोई पुराना लेन देन व रंजिश नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है की नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। दिनांक :– 18.07.2023 प्रार्थी नाम धर्मेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री कल्याणमल मीना, जाति मीना, उम्र 34 वर्ष निवासी बिहारीपुरा, तहसील लालसोट, जिला दोसा। 9414505274

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 18.07.2023 समय–09:00 ए.एम. भ्र.नि.ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह मीना पुत्र श्री कल्याणमल मीना, जाति मीना उम्र 34 वर्ष निवासी बिहारीपुरा, तहसील लालसोट, जिला दोसा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय पुलिस थाना लालसोट, जिला दोसा में दर्ज प्रकरण संख्या 330/2023 की स्वंय प्रमाणित प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति के मन् अति0 पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र कुमार शर्मा को इस आशय की पेश की कि हमारे जमीनी विवाद को लेकर मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ छोटूलाल पुत्र नानग राम के द्वारा पुलिस थाना लालसोट में मुकदमा नम्बर 330/23 दर्ज करवाया था, जिसमें हमारे खिलाफ 143,447,504,506 आईपीसी का आरोप अंकित है, उक्त मुकदमें में विजयलाल हैड कानि. के द्वारा जांच की जा रही है। विजय लाल हैड कानि व हरिसिंह हैड कानि. उक्त मुकदमें मे मेरे से मेरे परिवार के सदस्यों के नाम हटाने व गिरफ्तार नही करने की एवज में 15,000/– हजार रूपये की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारीयों को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरा इनसे कोई पुराना लेन देन व रंजिश नही है।

उक्त लिखित रिपोर्ट पर परिवादी धर्मेन्द्र सिंह मजिद दरयाप्त करने पर परिवादी धर्मेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट हस्तलिखित होनी व अंकित तथ्य सही होना तथा रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया गया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि की मांग का पाये जाने पर समय 09:30 ए.एम पर विभागीय वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय आलमारी से निकालकर उसे चालू व बन्द करने की विधि परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह को समझाया गया। चूंकि दिनांक 18.07.2023 को ब्यूरो चौकी पर पदस्थापित कानि. राजवीर सिंह की आकस्मिक अवकाश से वापसी होने तथा राजवीर सिंह कानि. जिला दौसा का स्थानीय निवासी होने के से समय करीबन 10:00 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा राजवीर सिंह कानि. से जरिये दूरभाष वार्ता की गई तो कानि. द्वारा स्वंय का लालसोट में होना बताया। इस पर कानि. को हिदायत दी गई कि पुलिस थाना लालसोट में रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना है। परिवादी धर्मेन्द्र सिंह मीना को लालसोट थाने के आस–पास मिल जाना, परिवादी स्वंय की मोटरसाईकिल से आयेगा और आपसे सम्पर्क कर लेगा तथा राजवीर सिंह कानि. को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आवश्यक राजकार्य से मनोज कुमार कानि. मय सरकारी बोलेरो मय चालक संजय कुमार के दोसा आ रहे है, जो आपको वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर देगा। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा राजवीर सिंह कानि. को जरिये दूरभाष एवं मनोज कुमार कानि. को आवश्यक हिदायत देकर मनोज कुमार कानि. को मय सरकारी बोलेरो मय चालक संजय कुमार मय वाईस रिकार्डर के रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीबन 10:10 ए.एम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी धर्मेन्द्र सिंह को ब्यूरो चौकी पर पदस्थापित राजवीर सिंह कानि. से लालसोट मिलने की हिदायत कर पुलिस थाना लालसोट रवाना किया गया। इसके पश्चात समय करीबन 03:15 पी.एम.पर श्री राजवीर सिंह कानि. ने जरिये दूरभाष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया की आपके निर्देशानुसार मनोज कुमार कानि. ने मन कानि. को लालसोट में बस स्टेण्ड के पास वाईस रिकार्डर दे दिया था। परिवादी धर्मेन्द्र सिंह से मेरा सम्पर्क होने पर मै परिवादी को लालसोट में पुलिस थाने के आस पास मिल गया था, जहां पर मैने परिवादी से अपना परिचय पूछकर व स्वंय का परिचय देकर वाईस रिकार्डर चालू कर पुनः स्वंय का परिचय देकर परिवादी को वाईस रिकार्डर सुपुर्द कर आवश्यक हिदायत कर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना लालसोट के लिये रवाना कर दिया था, जिसने कुछ समय पश्चात मन कानि. के पास आया, जिससे मैने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया तथा परिवादी ने मन कानि. को पूछने पर बताया की मैरे को विजय लाल जी हैड साहब तो मिले नही, हरि सिंह हैड साहब मिले थे, जिन्होने मेरे से मेरे से हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने की एवज में दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की है। विजय लाल हैड कानि. के थाने पर उपस्थित नही मिलने पर उसका इन्तजार किया, लेकिन वह अभी तक थाने पर उपस्थित नही आया है। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि राजवीर सिंह एवं परिवादी को वही अपने–अपने निवास पर रूकने की हिदायत कर दिनांक 19.07.2023 को पुनः पुलिस थाना लालसोट जाकर विजय लाल हैड कानि. से रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन की हिदायत दी गई। इसके पश्चात दिनांक 19.07.2023 समय करीबन 12:15 पी.एम. पर

श्री राजवीर सिंह कानि. व परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये एवं राजवीर सिंह कानि. एवं परिवादी ने दिनांक 18.07.2023 को अवगत कराये गये हालातो के अतिरिक्त मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने बताया की आज श्री राजवीर सिंह कानि. ने मुझे वाईस रिकार्डर चालू कर विजय लाल हैड कानि. के पास रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु पुलिस थाना लालसोट के लिये रवाना कर दिया था। मैं रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट के अन्दर गया, जहा पर मुझे विजय लाल हैड साहब व हरिसिंह हैड साहब उपस्थित मिले, जिनसे मैने हमारे मुकदमें के सम्बन्ध में बातचीत की तो उनके द्वारा दस हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की मेरे निवेदन करने पर आठ हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुये थे। उनसे बातचीत करने के बाद में वहां से रवाना होकर राजवीर सिंह जी के पास आ गया था, जिन्होने वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रख लिया एवं मेरे व विजय लाल हैड कानि, हरि सिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत मांग के बारे में उनको बताया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछने पर राजवीर सिंह कानि. द्वारा परिवादी के कथनों की ताईद की। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा राजवीर सिंह कानि. से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओ के मुख्य अंश सुने गये तो परिवादी व कानि राजवीर सिंह के कथनों की ताईद हुई। तत्पश्चात समय 12:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री राजवीर सिंह कानि. से पूर्व में प्राप्तशुदा वाईस रिकार्डर की दिनांक 18.07.2023 व 19.07.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह व राजवीर सिंह कानि. के समक्ष कार्यालय लेपॅटाप व स्पीकर की सहायता से पूर्ण रूप से सुना गया व परिवादी द्वारा बताये अनुसार एवं वार्ता सुनने के उपरान्त उक्त रिश्वत मांग सत्यापन हुई वार्ता से आरोपीगण द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता स्पष्ट है। परिवादी धर्मेन्द्र सिंह से रिश्वत में दी जाने वाली राशि के सम्बन्ध में पूछा तो परिवादी ने रिश्वत राशि स्वंय के पास होना बताया। इस पर परिवादी ने बताया की रिश्वत राशि उक्त दोनो हैड साहब मेरे से दिनांक 20.07.2023 को ही लेंगे। परिवादी को कार्यालय में रूकने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात समय करीबन 05:00 पी.एम. पर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने पर सहायक निदेशक, समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाईमाधोपुर के नाम तहरीर जारी कर श्री रामकेश कानि. नं. 98 को ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु दो स्वतन्त्र गवाह पाबन्द करवाकर हमराह साथ लाने हेतु रवाना किया जो कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से अपने साथ दो स्वतंत्र गवाह हमराह लेकर आया जिनसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर नाम पता पूछा तो उन्होने अपना पता क्रमशः श्री जितेन्द्र कुमार खंगार पुत्र श्री हरकेश सिंह खंगार, जाति खंगार, उम्र 31 वर्ष, निवासी ग्राम महरावण्ड, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सवाई माधोपुर एवं श्रीदास पुत्र स्व0 श्री किशनलाल, जाति मीना, उम्र 58 वर्ष, निवासी प्लाट नम्बर 06, मीना कॉलोनी, बजरिया सवाई माधोपुर हाल ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,सवाई माधोपुर होना बताया। जिन्हे अब तक की गई ट्रेप कार्यवाही के बारे में अनभिज्ञ रखते हुये कल दिनांक 20.07.2023 को समय 08.15 ए.एम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात समय करीबन 05:45 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखे वाईस रिकार्डर जिसमें दिनांक 18.07.2023, 19.07.2023 को हुई गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को परिवादी धर्मेन्द्र सिंह एवं गवाहान के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 18.07.2023 को परिवादी धर्मेन्द्र सिंह व हरिसिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिकार्ड वार्ता एवं दिनांक 19.07.2023 को परिवादी धर्मेन्द्र सिंह व आरोपीगण विजय लाल हैड कानि., हरिसिंह हैड कानि. के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर टेबल स्पीकर के माध्यम से परिवादी धर्मेन्द्र सिंह एवं गवाहान के समक्ष सुन–सुन कर आवाज की पहचान परिवादी से करवाकर वाईस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता दिनांक 18.07.2023 को फोल्डर नम्बर 01 व वार्ता दिनांक 19.07.2023 को फोल्डर नम्बर 02 की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री राजवीर सिंह कानि से टाईप करवाकर तैयार कर उक्त वार्ताओ को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व तीन डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम एवं आईओ प्रति तैयार करवाई जाकर मार्क "A-2", "A-3", "A-4" अंकित कर डीवीडियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडीयों को अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा आईओ प्रति डीवीडी को अनशील्ड शामिल पत्रावली की गई। समय– करीबन 11:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री जुगलाल कानि. को एक पेन ड्राईव न्यायालय हेतु मार्क "A-1" व दो डीवीडीयां क्रमश– मुल्जिम प्रति मार्क "A-2", "A-3" शील्ड शुदाओ को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। दिनांक 20.07.2023 समय करीबन 08:15 ए.एम. पर पूर्व से

पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार खंगार वरिष्ठ सहायक एवं श्रीदास ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,सवाई माधोपुर उपस्थित कार्यालय आये तथा पूर्व से कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह मीना से दोनों स्वतंत्र गवाहान का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आपसी परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट स्वतन्त्र गवाहान को पढवाई गई। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी तथा परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 08:45 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह से मांगने पर आरोपी विजय लाल हैड कानि0 व हरि सिंह हैड कानि. को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 500–500 रूपये के कुल 16 नोट अर्थात कुल 8,000/–रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपने पास से निकालकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये, पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित करवाये गये। तत्पश्चात श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक से मालखाने में रखे फिनोफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा मंगवाया जाकर प्रदीप गुर्जर से एक अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 8,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्रीदास से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये कपडे तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद प्रदीप गुर्जर से फिनोफ्थलीन पाउडर लगे हुये 8,000/–रूपयो को परिवादी की पहनी हुयी शर्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपीगण से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपीगण को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपीगण के मांगने पर ही उक्त राशी निकालकर उसे देवे तथा आरोपीगण रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखते है इसका ध्यान रखे तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहों को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपीगण के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री जितेन्द्र कुमार से एक कांच के मग को धुलवाकर पानी भरवाकर मंगवाया और ट्रेप बॉक्स में से गवाह जितेन्द्र कुमार से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त गवाह से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त मग के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त मग के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले प्रदीप गुर्जर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो गिलास के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे के ढक्कन को बंद करवाकर मालखाने में तथा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिव्वे को ट्रेप बॉक्स में गवाह रंगलाल मीना के मार्फत उसके हाथ साफ कराने के बाद रखवाया गया। इसके बाद प्रदीप गुर्जर से मग के धोवन को फिकवाया गया और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रदीप गुर्जर व दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं समस्त ट्रेप पार्टी के दोनो हाथों एवं मग को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं स्टाफ सदस्यों के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। बर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय– 10:00 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रैप पार्टी सदस्य भोलाराम कानि., राजवीर सिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप कम्प्यूटर प्रिन्टर मय प्राईवेट वाहन एवं श्री विवेक सोनी पुलिस निरीक्षक मय रमेश कुमार कानि, हम्मीर सिंह कानि., मनोज कुमार कानि., जुगलाल कानि., संजय कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन के वास्ते ट्रेप

कार्यवाही हेतु लालसोट, जिला दोसा के लिये रवाना हुआ। नोटो पर पाउडर लगाने वाले श्री प्रदीप गुर्जर कनिष्ठ सहायक को मुनासिफ हिदायत कर कार्यालय में छोडा गया। इसके पश्चात समय 11:25 ए.एम. करीबन मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्यों तथा परिवादी स्वतंत्र गवाहान के साथ पुलिस थाना लालसोट के पास पेट्रोल पम्प लालसोट के पास पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राईवेट वाहनो को पेट्रोल पम्प लालसोट के आस–पास सडक के किनारे खडा करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की समझाईस कर रिकॉर्डर सुपुर्द कर बाद आवश्यक हिदायत कर आरोपीगण से वार्ता करने हेतु पुलिस थाना लालसोट रवाना किया। उसके पीछे–पीछे राजवीर सिंह कानि. को रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रैप पार्टी के सदस्य अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के निर्धारित इशारे के इन्तजार में मुकिम हुए। तत्पश्चात समय करीबन 11:40 ए.एम. पर परिवादी धर्मेन्द्र सिह मीना पुलिस थाना लालसोट से बिना ईशारा किये बाहर आया। जिसे देखकर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के भी परिवादी के पीछे–पीछे पुलिस थाना लालसोट के पास बने पार्क के पास पहुचा, जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट के अन्दर विजय लाल जी हैड साहब के क्वार्टर पर पहुचा, जहां पर विजय लाल व हरिसिंह हैड कानि. मौजूद मिले। जिनसे मैंने मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की और हमारे मुकदमें से संबंधित कागजात दिये तो विजय लाल जी हैड साहब ने कहा की इन पर साईन करा कर और प्रमाणित करवाकर ला। फिर थोडी देर उन्होन मेरे व परिवार वालो के विरूद्व दर्ज मुकदमें के बारे मे बातचीत की। फिर मैने कहा की आपकी अमानत भी लाया हूँ तो उन्होने एक साथ लाने का ईशारा कर दिया था। मैं वहां से रवाना हो गया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें कोई वार्ता रिकॉर्ड होना पायी। तत्पश्चात समय करीबन 11:55 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी धर्मेन्द्र सिंह से रिकॉर्ड/कागजात बाबत पूछा तो परिवादी ने कहा की मेरे भाई धनराज का रिकॉर्ड तो पावर हाउस लालसोट से तथा शेरसिंह का रिकॉर्ड राजेश पायलट कॉलेज से हाजरी संबंधी रजिस्टर की लेना है, जो मैं थोडी देर में तैयार कर मंगवा रहा हूँ। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को मुनासिफ हिदायत कर रिकॉर्ड लेने हेतु रवाना किया गया तथा गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों को अपनी उपस्थिति छिपाते हुये रखने को हिदायत की गई। इसके पश्चात समय करीबन 12:50 पी.एम. पर परिवादी धर्मेन्द्र सिह मीना मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया और स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया की मैने शेरसिंह व धनराज का रिकॉर्ड/कागजात तैयार करवाकर ले आया हूँ। इस उक्त रिकॉर्ड/कागजात का अवलोकन कर परिवादी को वाईस रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत कर रिश्वत लेन–देन हेतु आरोपीगण विजय लाल हैड कानि व हरिसिंह हैड कानि. के पास पुलिस थाना लालसोट रवाना किया गया। तत्पश्चात समय 01:15 पी. एम. पर परिवादी धर्मेन्द्र सिह मीना पुलिस थाना लालसोट से बिना ईशारा किये बाहर आया। जिसे देखकर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के भी परिवादी के पीछे–पीछे पुलिस थाना लालसोट से थोडी दूरी पर कौथून तिराहे के पास पहुचा, जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना लालसोट के अन्दर विजय लाल जी हैड साहब के क्वार्टर पर पहुचा, जहां पर विजय लाल व हरिसिंह हैड कानि. व एक व्यक्ति और मौजूद मिला। मैने विजय लाल जी हैड साहब को रिश्वत राशि के सम्बन्ध में ईशारा किया तो उन्होने अपने मुह पर अंगुली रखकर चुप रहने का ईशारा किया। मैने विजय लाल जी से कहा रिकॉर्ड/कागजात को प्रमाणित करवाकर ले आया हूँ। उन्होने फिर मेरे से मेरे कार्य के सम्बन्ध में बातचीत की और धनराज व शेरसिंह का रिकॉर्ड ले लिया था। फिर मैने उनसे कहा की शाम को आउ या सुबह तो विजय लाल जी हैड साहब ने कहा फोन कर बता दूंगा फिर मैं वहां से रवाना हो गया था। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी से प्राप्त शुदा वाईस रिकॉर्डर को चालू कर सुना तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी। इसके पश्चात समय 01:30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्पूर्ण ट्रेप पार्टी को सूचित कर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचने की हिदायत कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व सम्पूर्ण ट्रेप पार्टी मय प्राईवेट वाहनों के लालसोट से ब्यूरो चौकी के लिये रवाना होकर समय करीबन 02:35 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचकर रूबरू गवाहान, परिवादी श्री धर्मेन्द्र सिंह को जरिए फर्द सुपुर्दशुदा फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त राशि 8,000/– रूपये के

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 120बी आईपीसी में आरोपीगण 1.श्री विजय लाल मीणा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद, तत्कालीन हैड कानि. नं0 26, पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा हाल हैड कानि0 पुलिस चौकी लांका मोड, पुलिस थाना सिकन्दरा, जिला दौसा एवं 2. श्री हरिसिंह पुत्र श्री सियाराम, तत्कालीन हैड कानि0 नं0 124, पुलिस थाना लालसोट जिला दौसा हाल हैड कानि0 पुलिस थाना मण्डावर, जिला दौसा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 300/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

28.11.23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक:- 3106-09 दिनांक 28.11.2023

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-2 जयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला दौसा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।